न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2020 (अपील)

उनवान

हरीश शर्मा उर्फ हरिश्चन्द्र शर्मा आत्मज स्व0 नन्दकिशोर जी आयु 62 साल जाति ब्राहमण निवासी 43/51 कृष्णा नगर रंगबाडी कोटा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. डा0 आशीष शर्मा आत्मज स्व0 सुरेशचन्द्र जी हाल निवासी ए एम0सी0 डेन्टल कालेज अनुपम सिनेमा के सामने मालकिया मिल कम्पाउन्ड खोखरा अहमदाबाद 380008 गुजराज
2. डा0 विवेक शर्मा आत्मज स्व0 सुरेशचन्द्र जी हाल निवास एनटीपीसी हॉस्पिटल एनटीपीसी झानोर एनटीपीसी टाउन शिप उर्जा नगर भरूंज 392215 गुजराज 392215
3. प्रीति उपाध्याय पत्नी श्री धीरेन्द्र उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी सन्दीपन गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल बालाजी नगर रोड रंगबाडी कोटा
4. .सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व0 सुरेशचन्द्र जी निवासी द्वारा विवेक शर्मा एनटीपीसी हॉस्पिटल एनटीपीसी झानोर एनटीपीसी टाउन शिप उर्जा नगर भरूंज 392215 गुजराज 392215
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ,3,4 की ओर से)

अपील बनाराजी इन्तकाल न0 395 दिनांक 5.03.2019 संरपच ग्राम पंचायत डूंगरज्या तहसील दीगोद अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 20.06.2024

1 अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डूंगरज्या तहसील दीगोद नामान्तरकरण संख्या 395 वाके ग्राम उदपूरा के आदेश दिनांक 05.03.2019 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डूंगरज्या का इंतकाल न0 395 दिनांक 5.03.2019 विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यो विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद में ख0न0 90 की 0.03 है0 ख0न0 553 रकबा 0.89 हे0 ख0न0 554 की 1.02 है0 ख0न0 590/91 की 0.08 हे0 कुल चार किता की 2.02 हैक्टर भूमि खातेदार नन्दकिशोर आत्मज चतुभुज के खाते दर्ज चली आ रही है। जो उनकी स्वअर्जित भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि खातेदार नन्दकिशोर आत्मज चतुभुज जी ने अपने जीवनकाल में अपील समस्त चल व अचल सम्पति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.10.2005 को आलेखित की थी। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट के भ्राता सुरेशचन्द्र को पूर्ण रूप से थी। किन्तु उक्त वसीयत को छिपा कर अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना विवादित भूमि का फोती नामान्तरकरण नं0 380 दिनांक 26.06.2018 अपीलाण्ट व उसके भ्राता सुरेशचन्द्र के नाम एवं उसके बाद सुरेश की मृत्यु का फोती इंतकाल न0 393 दिनांक 7.01.2019 तस्दीक करवा लिया। उपरोक्त भूमि पूर्व मे खातेदार नन्दकिशोर के खाते में दर्ज चली आ रही थी। उन्होने उक्त ख0न0 553 व 554 की भूमि की वसीयत अपीलाण्ट के नाम तथा ख0न0 90व 590/91 की भूमि की वसीयत दोनो भ्रातो अपीलाण्ट व सुरेशचन्द्र के नाम की गयी थी। इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ख0न0 553,554 की भूमि से सुरेशचन्द्र व उसके वारिसान रेस्पो0 का कोई संबध नहीं है। और न कभी रेस्पो0 का कब्जा काश्त रहा है। फिर भी फोती इंतकाल न0 393 रेस्पो 1 ता 4ने अपने नाम दर्ज करवा कर रेस्पो0 न0 1,2 व 4 से उनके हिस्से की भूमि का रेस्पो0 न03 के नाम हक त्यागकर दिया जो इंतकाल न0 395 से उक्त ख0न0 553 व 554 की भूमि में रेस्पो0 न03 का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत है। ख0न0 553 व 554 की भूमि से रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु रेस्पो0 न0 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसके मन में बदनियति आ गयी है। और रेस्पो0 न0 3 ने अपीलाण्ट को उक्त ख0न0 553 व 554 की भूमि से बेदखल करने व भूमि का रहन बेचान की धमकी दिनांक 26.05.2018 को दी। अधिनस्थ न्यायालय ने नामा0 संख्या 395 दिनांक 5.03.2019 बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये व सुनवायी का अवसर दिये ही खोल दिया गया। ख0न0 553 व 554 की भूमि पर वसीयत के अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का इन्तकाल न0 395 आदेश दिनांक दिनांक 5.03.2019 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अपील मियाद के बाहर है। अपील मियाद के बाहर पेश करने का कोई कारण अपीलाण्ट ने नहीं बताया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल वारिसान के

अति० जिला कलक्टर
कोटा

नाम तस्दीक किया गया इन्तकाल न0 395 ग्राम पंचायत का है ,जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी के पास है। वसीयत के सम्बन्ध श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। कब्जा रेस्पोडेन्ट का है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है,जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। वसीयत के सम्बन्ध सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए उक्त दावे में भी साक्ष्य से ही वसीयत सिद्ध हो सकेगी। इन्तकाल खोलने के बाद भी अपीलाण्ट ने दर्ज नाम के आधार पर लोन आदि लिया। इन्तकाल खोलने की जानकारी अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही थी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी 2021 (2) **SC** पेज न0 1201, आर0आर0डी 1998 पेज न0 553 ,आर0बी0टी 2004 पेज न0 514,520 आर0आर0डी 2005 पेज 87 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि नामांतरकरण नं0 395 आदेश दिनांक 5.03.2019 वाके ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद संरपच ग्राम पंचायत डूंगरज्या तहसील दीगोद द्वारा खोला गया है। चूकि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत का है। जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी के पास है। अतः ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः अपील श्रवणाधिकार क्षेत्र के अभाव मे होने से खारिज की जाती है

8 . निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा